प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **136 एलआर एक्ट सं. 26/2019**

सफी खां पुत्र सुल्तान खा जाति मूसलमान निवासी केंला तह. छतरगढ।

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) छतरगढ।

अप्रार्थी

उपस्थित :

1. श्री लक्ष्मीनारायण आचार्य, अभिभाषक प्रार्थी
2. पैरोकार राज छतरगढ।

निर्णय

दिनांक :–22.03.2021

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषक पक्षकारान व पैरोकार राज उपस्थित। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से रोही नापासरिया के खसरा नम्बर 38/1174 में 50 बीघा बारानी भूमि है जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त है। प्रार्थी का नाम सफी खां पुत्र सुल्तान खां जाति मुसलमान है एवम प्रार्थी के स्वामित्व एवम खातेदारी की भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम सहवन से लिपिकिय त्रुटीवंश सुल्तान खां के स्थान पर मागें खां लिखा गया था जो कि आज दिनांक तक मांगें खां ही चला आ रहा है। जिसे दुरूस्त करवानें हेतु उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। राजपैरो[illegible] जवाब प्राप्त प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए, प्रार्थना [illegible] का निर्णय किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Singh Meena
Date: 2021.07.26 12:19:49 IST
Reason: SelfAttested

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र मीमों के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी के नाम तह. छतरगढ की नापासरिया के

उपखण्ड अधिका[illegible]
छतरगढ (बीकाने[illegible])

खसरा नम्बर 38/1174 में 50 बीघा बारानी भूमि है जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त है। प्रार्थी का प्रार्थी का सही नाम सफी खां पुत्र सुल्तान खां जाति मुसलमान है एवम प्रार्थी के स्वामित्व एवम खातेदारी की भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम सहवन से लिपिकिय त्रुटीवंश सुल्तान खां के स्थान पर मागें खां लिखा गया है तथा प्रार्थी के समस्त दस्तावेजो में जैसे ग्राम पंचायत द्वारा पहचान एवं राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, आधारकार्ड में प्रार्थी के पिता का सहीं नाम सुल्तान खां ही दर्ज है। इसलिए राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाकर प्रार्थी के पिता का नाम मागें खां की जगह सुल्तान खां दर्ज करनें का आदेश प्रदान करें।

उभयपक्ष को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी के पिता का सही नाम सुल्तान खां जाति मुसलमान है एवं प्रार्थी के पिता का नाम सहवन से लिपिकिय त्रुटीवंश मागें खां दर्ज हो गया। इसलिए प्रार्थी की तह. छतरगढ की रोही नापासरिया के खसरा नम्बर 38/1174 में 50 बीघा खातेदार बारानी भूमि है जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त है। प्रार्थी के पिता का नाम मागें खां के स्थान पर सुल्तान खां दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाकर प्रार्थी के पिता का नाम मागें खां के स्थान पर सुल्तान खां दर्ज करनें का आदेश पारित किया जाता है शेष अंकन यथावत रहेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **22.03.2021** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Singh Meena
Date: 2021.07.26 12:19:49 IST
Reason: SelfAttested

(जीतूसिंह मीणा)
आरएएस
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
छतरगढ़ (बीकानेर)